2017/00228

न्यायालय सम्पदा अधिकारी(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सिरोही (राज.)
बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 1/2015

प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा मुख्य आबुरोड मुख्य प्रबंधक रा.रा.प.प. निगम आबुरोड आगार।
2. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आबूरोड आगार ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री ज्ञानप्रकाश पुत्र श्री मूलचंद, जाति–ब्राहमण निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

उपस्थित :–
1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अर्जुन रावल।
2– अप्रार्थी की ओर वकील श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 22. 7 .2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2015 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 का प्रधान कार्यालय, जयपुर में स्थित है जिसके भिन्न–भिन्न जिला व तहसीलों में कई मुख्य प्रबन्धक नियुक्त हैं जो अपने क्षेत्र की प्रार्थी सं. 1 एक के जायदाद की देखरेख व बस स्टेण्ड का संचालन करते हैं। पूर्व में राजस्थान राज्य परिवहन निगम का बस स्टेण्ड, बना हुआ था, वह रेलवे के भू–भाग में स्थित था। जिसे रेलवे द्वारा ब्रोडगेज बनाये जाने से खाली करवाये जाने पर नया बस स्टेण्ड निगम के स्वामित्व की भूमि स्थिति आवासीय कॉलोनी के स्थान पर बनाया गया था। आज जनता के हित में एवं सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.07.2006 को

नगरपालिका, आबूरोड ने 511.33 वर्गगज भूमि लीज पर निगम को आवंटित की गई थी, जिसकी निम्नानुसार चर्तुदर्शी है –पूर्व –रेल्वे लाईन, पश्चिमः खूली भूमि, उत्तरः– खूली भूमि व रास्ता, दक्षिणः– नोपाराम का केबिन। अप्रार्थी ज्ञानप्रकाश ने मा० सिविल न्यायाधीश (व.ख.) आबूपर्वत केम्प आबूरोड में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्व निम्न प्रकार से डिकी किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि

1– वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री की जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित चतुर्दशी के केबिन को स्वयं या अपने ऐजेण्टों, नौकरों के माध्यम से हटावे। में वादी की लाइसेन्स शुदा एवं कब्जेशुदा केबिन स्थित हैं।

2– वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री जारी की जावे प्रतिवादीगण द्वारा केबिन हटा देने की स्थिति में पुनः स्थापित नही किया जावे।

3– वाद व्यय प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा जावे।

मा० सिविल न्यायालय ने दिनांक 20–03–2014 को इस आशय कि डिक्री पारित है कि " वाद वादी विरूद्व व प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को वाद पत्र वार्णित केबिन से जबरन बेदखल नही करें। विधिक प्रक्रिया अपनाकर बेदखली की कार्यवाही का प्रतिवादीगण का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मा० सिविल न्यायालय, आबूरोड के डिकी आदेश 20.03.2014 की पालना में केबिन हटाने बाबत दिनांक 18–06–2014 को प्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, किन्तु अप्रार्थी ने जानबुझकर आज दिनांक तक अवैध केबिन नही हटाया है। जिससे अप्रार्थी अतिक्रमी होने कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी संख्या 1 की जायदाद अप्रार्थी से खाली कराने हेतु प्रार्थी संख्या 2 अधिकृत है ।

राजस्थान राज–पत्र दिनांक 25.01.2005 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), जयपुर को जयपुर जिले में व अन्य जिला में जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को प्रार्थीगण की सम्पतियों पर से अप्राधिकृत अभियोग और अतिक्रमण बेदखली करने हेतु सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया हैं, जिससे इस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड ... सिरोही (राज.)

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्व निम्न आशय की डिकी प्रदान करावें –

अ– निगम की स्वामित्व की भूमि में काबिज अवैध केबिन से अप्रार्थी से प्रार्थी को कब्जा देरावें।

ब– प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 25.07.2006 से केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर से 31.03.2015 तक की अवधि तक

की बकाया देय राशि रू० 5,30,000/– अक्षरे पांच लाख तीस हजार भी प्रदान कराई जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के साथ रोडवेज द्वारा अप्रार्थी को केबिन हटाने के संबंध में नोटिस, सिविल न्यायाधीश (व.ख) आबूपर्वत केम्प आबूरोड संख्या 224/2002 में डिकी में दिनांक 20–03–2014 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2015 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय की सुनवाई दिनांक 18–04–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रति वकील प्रार्थीगण को दी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का कथन जानकारी नही होने से अस्वीकार है। पद संख्या 2 का कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन सक्षमतौर किरायेदार साक्ष्य से सबित करें। पद में दर्शित चर्तुदर्शी कि सम्पति का स्वामीत्व प्रार्थीगण सबित करें । अप्रार्थी का केबिन नगर पालिका की भूमि पर लगा है। प्रकरण में नगर पालिका को पक्षकार नही बनाया गया है। अप्रार्थी का केबिन हटाने का गलत नोटिस दिया गया है जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा दिया गया। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा न ही अप्रार्थी से परिसर खाली करवाने का अधिकारी है।

विशेष कथन

1. वादग्रस्त भूमि नगर पालिका कि सम्पति है। अप्रार्थी ने नगर पालिका से उक्त केबिन की भूमि को किराये पर लिया था। आज तक बतौर किरायेदार कबिज जिससे प्रार्थी को बेदखली का अधिकार नही होने से प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है।
2. विवादित भूमि पर अप्रार्थी बतौर किरायेदार काबिज होने से नगर पालिका को भूमि आंवटन को कोई अधिकार नही था। नोटिस गलत प्रेषित किया गया।
3. नगरपालिका आबूरोड प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थना–पत्र पोषनीय नही है।
4 इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगध अप्रार्थी से परिसर खाली कराने का अधिकारी नही है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 पर अंतिम बहस सुनी गई ।

हमनें विचराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र जवाब अप्रार्थी संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील उभय पक्षकारान की बहस पर भी गंभीरतापूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण

प्रकरण के विवेचन के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि मा० सिविल न्यायाधीश(व.ख) आबूपर्वत केम्प आबूरोड में दीवानी मूल वाद डिकी संख्या 224/2002 में दिनांक 20.03.2014 में पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी ज्ञान प्रकाश को अतिक्रमी माना है। अप्रार्थी से केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर अब तक का बकाया राशि प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी ने जानबुझकर आज तक अवैध केबिन नही हटाया है। जिससे अप्रार्थी अतिक्रमी होने से अप्रार्थी से कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने निम्न चर्तुदशी पूर्व में –रेल्वे लाईन, पश्चिम में– खूली भूमि, उत्तर में – खूली भूमि व रास्ता, दक्षिण में– नोपाराम का केबिन के स्वामित्व की विवादित केबिन की भूमि को अप्रार्थी से खाली कराने हेतु अधिकृत है। एवं केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर से अब तक का बकाया राशि प्राप्त करने हेतु भी अधिकृत है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा(1) के अधिन विवादित उक्त केबिन की भूमि से बेदखली का आदेश जारी हो। एवं धारा 7 की उपधारा (1) के तहत रकम संदाय करने का आदेश भी जारी हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही
सिरोही

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही
सिरोही

प्रारूप—ख

रा.रा.प.प.नि. बनाम नरेश कुमार
प्रकरण संख्या 01/2018

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन आदेश

यतः मेरा (निम्न हस्ताक्षरकर्ता का) नीचे अभिलिखित कारणों से समाधान हो गया है कि श्री ज्ञान पकाश पुत्र श्री मूलचंद, जाति– ब्राहमण, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

यतः आप नीचे की अनुसूची में वर्णित सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अभियोगी है:–

अतः अब राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं इसके द्वारा आदेश देता हुँ कि इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त **श्री ज्ञान पकाश पुत्र श्री मूलचंद, जाति– ब्राहमण, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड** और अन्य समस्त व्यक्ति, जो उक्त स्थान या उसके किसी भाग के अधिभोग हो, उक्त स्थान खाली कर दें। उमर विर्निर्दिष्ट कालावधि के भीतर इस आदेश के पालन करने से इन्कार करने या पालन करने में असफल रहने पर उक्त **श्री ज्ञान पकाश पुत्र श्री मूलचंद, जाति– ब्राहमण, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड** और संबंधित अन्य समस्त व्यक्तियों को उक्त स्थान से, ऐसे बल के प्रयोग द्वारा भी बेदखल कर दिया जायेगा जो आवश्यक हो।

अनुसूची

जिसकी चतुदर्शी निम्न प्रकार है:–
पूर्व में – रेल्वे लाईन,
पश्चिम में-- खूली भूमि,
उत्तर में – खूली भूमि व रास्ता,
दक्षिण में– नोपाराम का केबिन

दिनांक –22– 7 –2025

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम)
सिरोही
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही

प्रारूप–ध

रा.रा.प.प.नि. बनाम ज्ञान प्रकाश
प्रकरण संख्या 01/2018

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन आदेश

श्री ज्ञान पकाश पुत्र श्री मूलचंद, जाति– ब्राहमण, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

यतः आप नीचे की अनुसूची में वर्णित सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अधिभोगि है:–

ओर उक्त स्थान के संबंध में तारीख **25–07–2006 से आज दिनांक तक किराये की रकम 5000/–(पांच हजार रूपये मात्र) मासिक दर से बकाया है, जो आपके द्वारा सरकार को संदत्त किये जाने है।**

अतः अब राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 7 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, में इसके द्वारा आपसे उपरोक्तानुसार रूपये की समान किश्तों में 12 समान किश्त मास के भीतर उक्त रकम संदाय करने की अपेक्षा करता हुॅ। यदि उक्त कालावधि के भीतर या उक्त रीति से उक्त रकम का संदाय नही किया गया तो उक्त रकम भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

दिनांक –22 – 7 –2025

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम)
सिरोही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही